pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट –4–क
अचल सम्पत्ति(यों) की ई–नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय :–9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली–110001 फोन:–011–23357171, 23357172, 23705414, **वेबसाइट : www.pnbhousing.com**
हरिद्वार शाखा: दिल्ली हरिद्वार मुख्य मार्ग, अरबिंदो आश्रम के बगल में, रानीपुर मोड़, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार–249407, **देहरादून शाखा:** दुकान नंबर 301 और 302 लक्ष्मी चॉबर्स 69, राजपुर रोड, देहरादून–248001

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर–डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर–सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएंगी। एतद्द्वारा कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामत: **www.pnbhousing.com** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम गारंटर(ऱ) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्जा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तिओं का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/ न्यायालय मामला, यदि कोई, (के)
HOU/HWR/0122/948006, बी.ओ. हरिद्वार, अवनीश गोयल, श्रीमती रुचि गोयल	07.12.2023 तक रु.22,38,504.70	भौतिक कब्जा	वह सारी संपत्ति आवासीय मकान जिसका खसरा नंबर 677 न्यूनतम है, मौजा रोशनाबाद, गांव सलेमपुर महदूद 1 में स्थित है, क्षेत्रफल 700 वर्ग फीट और कवर्ड एरिया 1500 वर्ग फीट, परगना रुड़की, तहसील और जिला हरिद्वार, उत्तराखंड–249402, भारत, सीमा: पूर्व दूसरों की संपत्ति, 20 फीट की भुजा, पश्चिम–18 फीट चौड़ी सड़क, 20 फीट की भुजा, उत्तर–दूसरों की संपत्ति, 35 फीट की भुजा। दक्षिण–श्रीमती सुमन का प्लॉट, 35 फीट की भुजा	रु. 1642000	रु. 164200	28.10.2024	रु. 10000	15.10.2024 पूर्वा.10.00 अप.5.30	29.10.2024 अप.02.00 अप.03.00	Not Known
HOU/DEH/1118/603185, बी.ओ. देहरादून, राजिन्द्र सिंह, नेहा	17.06.2021 तक रु.14,70,061.02	भौतिक कब्जा	खसरा नं.1354, माप क्षेत्र 177.32 वर्ग मीटर, आच्छादित क्षेत्र 19.98 वर्ग मीटर, मौजा ईस्टहोप टाउन, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, देहरादून, उत्तराखंड–248198,भारत, इस प्रकार परिबद्ध और बटिएत: उत्तर: गूल, भुजा माप 36 फीट, दक्षिण: 12 फीट चौड़ा मार्ग, भुजी माप 36 फीट, पूर्व: विक्रेता की भूमि, भुजा माप 52 फीट पश्चिम: विक्रेता की भूमि, भुजा माप 54 फीट	रु. 1265000	रु. 126500	28.10.2024	रु. 10000	15.10.2024 पूर्वा.10.00 अप.5.30	29.10.2024 अप.02.00 अप.03.00	Not Known

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। ''पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकरी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कौलम नंबर–के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है।
1. आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है।
2. संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर–के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(से) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे।
3. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (ब्याना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और ईस तरह की जमा राशि के डिफॉल्ट होने पर, संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा।
4. **मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर–44, गुरूग्राम, हरियाणा–122003 वेबसाइट – **www.bankeauctions.com** सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी **मुकेश विश्नोई संपर्क नंबर 1800 120 8800**, या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा **www.pnbhousing.com** पर देखे

स्थान: उत्तराखंड, दिनांक: 15–10–2024 **प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड**

महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड — **कब्जा सूचना**

कार्पोरेट कार्यालय– महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, साधना हाउस, द्वितीय तल, 570, पी.बी. मार्ग वर्ली, मुंबई–400 018, भारत, फोन : +91 22 66523500 फैस : +91 22 24972741
आंचलिक कार्यालय : अशोक राज टावर, द्वितीय तल, सीपी–162, सेक्टर डी, एलडीए कालोनी, कानपुर रोड, निकट पावर हाउस चौराहा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226005 **शाखा कार्यालय :** 74 श्री राम आर्केड राजपुर रोड, देहरादून, देहरादून, उत्तराखंड–248009

(अचल सम्पत्ति के लिए) (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1) के अधीन)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, मैसर्स महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (इसमें आगे "एमआरएचएफएल" कही गई है), जिसका पंजीकृत कार्यालय **लखनऊ** में और शाखा कार्यालय **देहरादून** में स्थित है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन आप कर्जदारों (नाम और पता नीचे वर्णित) को मांग सूचना जारी की थी, जिसमें उक्त सूचना में वर्णित बकाया राशि, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।
उपरिवर्णित कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा उपरिवर्णित कर्जदारों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवर्णित संपत्ति का **कब्जा** दिनांक **11–10–2024** को ले लिया है।
उपरिवर्णित कर्जदारों को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार मैसर्स महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड की बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा।
कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) का नाम	प्रत्याभूत आस्ति का वर्णन (अचल सम्पत्ति)	मांग सूचना तिथि एवं राशि	कब्जा की तिथि
1.	**(एलसी नंबर : 1407838/XSEMDDN01077016 देहरादून शाखा)** **रामपाल सिंह** (कर्जदार) **लक्ष्मी देवी** (सह–कर्जदार)	खेत नंबर 1613, खसरा नंबर 1694/4 मिन, स्थित : मौजा आर्केडिया ग्रांट, परगना–पचवादून, देहरादून, उत्तराखंड–248007, पूरब : 12 फीट चौड़ी रोड, पश्चिम : जंगल, उत्तर : अन्य का प्लॉट, दक्षिण : अन्य का प्लॉट	**11–05–2024 रू. 18,46,637.81/–**	**11–10–2024 भौतिक कब्जा**

स्थान : देहरादून, तिथि : 15–10–2024 **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड**

एसेट केअर एंड रिकन्स्ट्रक्शन एंटरप्राईज लिमिटेड ("एसीआरई")
CIN : U65993DL2002PLC115769
पंजीकृत कार्यालय: 14वीं मंजिल, ईआरओएस कॉर्पोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019. ई-मेल: acre.arc@acreindia.in,वेबसाइट: www.acreindia.in
कॉर्पोरेट कार्यालय: यूनिट नंबर 502, सी विंग, वन बीकेसी, प्लॉट नंबर सी - 66, जी - ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई – 400051. फोन: 022 68643101

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,
सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के नाम से जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **श्रीराम नोनिया उर्फ श्रीराम नोनिया और जय चौहान उर्फ जय चौहान** को **12.06.2019** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. S058XII (आईएचएफएल का पूर्व कर्ज खाता नं. HHLRHN00274629)** की राशि **रू. 41,96,699 (रूपये इकतालीस लाख छियानवे हजार छह सौ निन्यानवे मात्र)** और **06.06.2019** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी । इसके अलावा **आईएचएफएल** ने **इंडियाबुल्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के पक्ष में **इंडियाबुल्स एआरसी –XII ट्रस्ट के ट्रस्ट्री** के रूप में उपरोक्त कर्ज खाते के अपने सभी अधिकार, शीर्षक और ब्याज **31.12.2019**. को एक असाइनमेंट समझौते के माध्यम से सौपा है, इसके अलावा **इंडियाबुल्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इंडियाबुल्स एआरसी –XII ट्रस्ट के ट्रस्ट्री** ने दिनांक **26.04.2021** के असाइनमेंट करार के माध्यम से **एसेट केअर एंड रिकन्स्ट्रक्शन एंटरप्राईज लिमिटेड ("एसीआरई")** के पक्ष में उपरोक्त कर्ज खाते के अपने सभी अधिकार, शीर्षक और ब्याज सौंपा है, जिसे दिनांक **26.08.2021** के सुधार समझौते के साथ पढ़े और कर्ज खाता जिसे **एसीआरई** की पुस्तकों में कर्ज खाता नं.**S058XII** के रूप में पुन: क्रमांकित किया गया है।
धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **10.10.2024** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है ।
विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू. 41,96,699 (रूपये इकतालीस लाख छियानवे हजार छह सौ निन्यानवे मात्र) 06.06.2019** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **असेट्स केअर एन्ड रिकन्स्ट्रक्शन एन्टरप्राइजेस लि.** के आधीन होगा.
उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण
अपार्टमेंट नं. ए-1408, जिसका बिल्ट अप क्षेत्र लगभगे 99.78 स्क्वेर मीटर्स (लगभग 1074 स्क्वेर फीट) और सुपर बिल्ट अप क्षेत्र लगभग 124.67 स्क्वेर मीटर्स (लगभग 1342 स्क्वेर फीट), चौदहवीं मंजिल पर, टावर/ब्लॉक-ए के साथ- एक कार पार्किंग, बेअरींग नं. पीआर-ए 1408 में, आरजी लक्ज़री होम्स नामक परियोजना में, प्लॉट नं. जीएच-07ए पर स्थित , सेक्टर-16-बी, ग्रेटर नोएडा, नोएडा-203207, उत्तर प्रदेश ।

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 10.10.2024 असेट्स केअर एन्ड रिकन्स्ट्रक्शन एन्टरप्राइजेस लि.
स्थान : नोएडा (102- ट्रस्ट)

किसी भी शिकायत के लिए आप **श्री मोहम्मद शारिक मलिक,** शिकायत निवारण अधिकारी, फोन नंबर 011-66115609, ईमेल: complaint@acreindia.in से संपर्क कर सकते हैं। संगठन के अंतर्गत शिकायत निवारण तंत्र विस्तृत रुप से https://www.acreindia.in/compliance पर देखी जा सकती है।

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड
SHRIRAM Finance
SHRIRAM City MONEY WHEN YOU NEED IT MOST
पंजीकृत कार्यालय : श्री टॉवर्स, प्लॉट नं. 14ए, साउथ फेस इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइन्डी, चेन्नई 600 032
शाखा कार्यालय : नं, 13, तीसरी मंजिल, मीनाक्षी टॉवर्स, राजमन्नार स्ट्रीट, जी.एन. चेट्टी रोड, टी. नगर, चेन्नई-600 017,
वेबसाइट : www.shriramfinance.in

सांकेतिक कब्जा सूचना

नोट : यह सूचित किया जाता है कि एनसीएलटी, चेन्नई के आदेश के अनुसार ''श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड'' को ''श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड'' के साथ समामेलित किया गया है। इसके बाद ''श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड'' का नाम बदलकर ''श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड'' कर दिया गया, जो दिनांक 30–11–2022 के नाम परिवर्तन के अनुसार निगमन प्रमाणपत्र के माध्यम से 30.11.2022 से प्रभावी हो गया।
जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) के प्रावधानों के तहत **श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (एसएफएल)** का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (कथित नियम) के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे तालिका वर्णित कर्जदारों को कथित माँग सूचनाओं में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए माँग सूचनाएँ जारी की थीं।
कर्जदारों के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि एसएफएल का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नीचे वर्णित बन्धक सम्पत्ति पर 10.10.2024 को **सांकेतिक कब्जा** कर लिया है।
विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिए **श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभार के अध्यधीन होगा।

कर्जदार का नाम एवं पता
ऋण संख्या CDUD2LP2203020001
1. श्री सुरेश चंद्र कुमावत पुत्र भंवर लाल कुमावत (कर्जदार) – 65, गणेश चौहारा, कछारा मौहल्ला.धोइंदा, राजसमंद, राजस्थान – 313324
2. मैसर्स दीप लक्ष्मी शू सेंटर (सह–कर्जदार/गारंटर) (प्रो. सुरेश चंद्र कुमावत) शशि गेस्ट हाउस, कांकरोली, राजसमंद, राजस्थान–313324
3. श्रीमती लक्ष्मी देवी कुमावत पत्नी सुरेश चंद्र कुमावत (सह–कर्जदार/गारंटर) 65, गणेश चौहारा, कछारा मौहल्ला.धोइंदा, राजसमंद, राजस्थान–313324
4. सुश्री संजय कुमावत पुत्र सुरेश चंद्र कुमावत (सह–कर्जदार/गारंटर) 65, गणेश चौहारा, कच्छारा मौहल्ला.धोइंदा, राजसमंद, राजस्थान–313324।
सांकेतिक कब्जे की तिथि–10–10–2024
एनपीए– 04–मई–2024

मांग सूचना
मांग सूचना दिनांक 10–05–2024
रु. 3051418/– (रुपये तीस लाख इक्यावन हजार चार सौ अठारह मात्र) दिनांक 09 मई 2024 को फोरक्लोजर राशि के अनुसार, शर्तों के अनुसार अतिरिक्त ब्याज और शुल्क

सम्पत्ति का विवरण
भूमि और भवन का समस्त भाग, संपत्ति पट्टा संख्या 25/85, आराजी संख्या 743, राजस्व गांव धोइंदा, तहसील और जिला राजसमंद (राजस्थान) में प्लॉट पर स्थित। माप 3630 वर्ग फीट।
सीमाएं : उत्तर में: श्री मोहन, लाल कच्छारा का प्लॉट, दक्षिण में: श्री मिट्ठा लाल कच्छारा का नोहरा, पूर्व में: 25 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम में: आराजी संख्या 743/2 की भूमि

प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
स्थान : उदयपुर **ह./–अधिकृत प्राधिकारी**
तिथि : 10 अक्टूबर, 2024 **श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड**

AXIS BANK
माँग सूचना

खुदरा परिसंपत्ति केंद्र : एक्सिस बैंक लि., एक्सिस भवन, टॉवर टी-2, द्वितीय तल, आई-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा (उ.प्र.)-201301, एक्सिस बैंक लि., बीएफ-1ए, 2, 3, प्रथम तल, आदित्य सिटी सेंटर, नीति खण्ड-1, इंदिरापुरम, गाजियाबाद-201012, एक्सिस बैंक लि., 7वां तल, विपुल स्क्वॉयर, सुशांत लोक, फेज-1, गुड़गांव, एक्सिस बैंक लि., हिमालय हाउस, ऊपरी भू तल एवं प्रथम तल, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली – 110001 कार्यालय – एक्सिस बैंक लि., एक्सिस हाउस, टॉवर टी-2, द्वितीय तल, आई-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा (उ.प्र.)-201301, निगमित कार्यालय : ब्लॉक-बी, बांबे डाइंग मिल्स कंपाउंड, पांडुरंग बुधाकर मार्ग, वर्ली, मुंबई-400025, पंजीकृत कार्यालय : 'त्रिशूल', तृतीय तल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006

जैसा कि एक्सिस बैंक लिमिटेड से यहाँ नीचे वर्णित ऋणधारकों/सह–ऋणधारकों/गांरटरों/बंधककर्ताओं ने वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। हमारा कहना है कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के उपरांत भी ऋणधारकों/गांरटरों/बंधककर्ताओं ने नियत तिथियों के अनुसार ब्याज तथा मूलधन के प्रतिभुगतान में विभिन्न चूकें की हैं। और इसीलिए, खाता को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार यहां नीचे अंकित संबंधित तिथियों पर अनिष्पादनीय परिसम्पत्ति के रुप में वर्गीकृत कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप, तदुपरांत एक्सिस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, यहां इसमें नीचे अंकित संबंधित तिथियों पर सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत माँग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें निम्नलिखित ऋणधारकों/गांरटरों/बंधककर्ताओं को सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर, भुगतान की तिथि तक आकस्मिक व्ययों, लागत, शुल्कों, इत्यादि के साथ सूचनाओं में अंकित राशि पर संविदागत दर पर आगे के ब्याज के साथ सूचनाओं में अंकित राशि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक / सह–ऋणधारक एवं गारंटर का नाम एवं पता	प्रतिभूत परिसंपत्तियों का संपत्तिगत पता	एनपीए तिथि / माँग सूचना की तिथि / ऋण राशि (रु.) / सूचना की तिथि के अनुसार बकाया राशि (रु.)
1. **श्री कवल कालरा** पुत्र श्री नानक चंद्र कालरा निवासी बी 4/17, पश्चिम विहार, दिल्ली पश्चिम, दिल्ली 110063, अन्य पता : श्री कवल कालरा (प्रोपराइटर) के. के. स्टील उद्योग, प्लॉट नं. 666, प्रथम तल, केएच. नंबर 674, ग्राम– नवादा, दिल्ली–110059, **2. श्रीमती रुचि कालरा** पत्नी श्री कवल कालरा निवासी बी 4/17, पश्चिम विहार, दिल्ली पश्चिम, दिल्ली 110063, 3. श्रीमती गीता कालरा माता श्री कवल कालरा निवासी बी 4/17, पश्चिम विहार, दिल्ली पश्चिम, दिल्ली 110063	आवासीय निर्मित प्लॉट नंबर– बी–4/17, क्षेत्रफल 320.32 वर्ग मीटर, जो ब्लॉक बी–4, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063 के लेआउट प्लान में स्थित और निम्नानुसार परिसीमित है :– उत्तर– साइट प्लान के अनुसार पूर्व– साइट प्लान के अनुसार, पश्चिम– साइट प्लान के अनुसार, दक्षिण– साइट प्लान के अनुसार	08–अक्टूबर–2024 09–अक्टूबर–2024 रु. 7,00,00,000/– और रु. 1,37,42,390/– रु. 6,36,47,330/– (रुपये छह करोड़ छत्तीस लाख सैंतालीस हजार तीन सौ तीस मात्र)
1. **श्री मोहित अरोड़ा** पुत्र श्री नरेंद्र अरोड़ा, मकान नंबर– ए–177, सेक्टर–56, गुड़गांव, हरियाणा– 122011, अन्य पता– श्री मोहित अरोड़ा पुत्र श्री नरेन्द्र अरोड़ा, मकान नं. ई–197, तृतीय तल, सुशांत लोक–2, सेक्टर–56, गुड़गांव, हरियाणा– 122011, अन्य पता– श्री मोहित अरोड़ा, समतार बेकरी एंड स्वीट्स, भू तल, संपत्ति सं. 2ए, दुकान सं. 8, जसोला, फतेहपुर बेरी, नई दिल्ली – 110074 **2. श्री नरेन्द्र अरोड़ा** पुत्र सुखदयाल, मकान नं. ई–197, तृतीय तल, सुशांत लोक–2, सेक्टर–56, गुड़गांव, हरियाणा– 122011, अन्य पता– श्री नरेन्द्र अरोड़ा पुत्र सुखदयाल, फ्लैट ए–711, जैन प्रतिनिधि अपार्टमेंट सेक्टर–28, मेन गोल्फ कोर्स रोड, गुड़गांव, हरियाणा– 122009, **3. श्रीमती शकुंतला अरोड़ा** पत्नी श्री नरेन्द्र अरोड़ा, मकान नं.– ई–197, तृतीय तल, सुशांत लोक–2, सेक्टर–56, गुड़गांव, हरियाणा– 122011	संपूर्ण चतुर्थ तल, ब्लॉक–ई में प्लॉट ओ–23 धारक भूमि के फ्री होल्ड प्लॉट में छताधिकारों के साथ, 365.74 वर्ग मीटर की माप, साउथ सिटी पप के नाम से जानी जाने वाली आवासीय कॉलोनी, आदमपुर, फतेहपुर, तिगरा, टिकरी, समसपुर घसोला और बादशाहपुर गाँवों के आसपास, तहसील वजीरपुर, और जिला गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित और निम्नानुसार परिसीमित है :– उत्तर– स्वामित्व योजना के अनुसार, पूर्व– स्वामित्व योजना के अनुसार, पश्चिम– स्वामित्व योजना के अनुसार, दक्षिण– स्वामित्व योजना के अनुसार।	08–अक्टूबर–2024 09–अक्टूबर–2023 रु. 2,25,00,000/– रु. 2,27,89,720.18/– (रुपये दो करोड़ सत्ताईस लाख नवासी हजार सात सौ बीस तथा अट्ठारह पैसे मात्र)

एतद्वारा उक्त परिस्थितियों में उक्त ऋणधारकों, सह–ऋणधारकों एवं/अथवा उनके गारंटरों (जहां भी लागू हो) को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर आगे के ब्याज तथा यथालागू शुल्कों के साथ उपरोक्त बकाया राशि का भुगतान करें, अन्यथा इस सूचना की तिथि से 60 दिनों की समाप्ति के बाद, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) तथा उसके अंतर्गत यथालागू नियमावली के अंतर्गत ऋणधारकों तथा बंधककर्ताओं की प्रतिभूति परिसम्पत्तियों पर अधिग्रहण करने सहित प्रतिभूति परिसम्पत्तियों के विरुद्ध आगे की कार्रवाइयां की जायेंगी। आपका ध्यान सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट किया जाता है, जिसमें आप जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रित कर सार्वजनिक नीलामी करने अथवा निजी संधि के द्वारा प्रतिभूति परिसम्पत्ति(यों) की बिक्री के लिये सूचना के प्रकाशन की तिथि तक बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, शुल्कों एवं व्ययों के साथ सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान रहे कि यदि बैंक द्वारा वहन की गई लागतों, शुल्कों एवं व्ययों के साथ सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान, जनता से कोटेशन व निविदा आमंत्रित कर सार्वजनिक नीलामी के आयोजन या निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री सूचना के प्रकाशन से पूर्व, नहीं किया जाता है तो आप प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों) को विमोचित करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे।
कृपया ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत, प्रतिभूति ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किये बिना कोई भी ऋणधारक इस सूचना में संदर्भित अपनी किसी भी प्रतिभूत परिसम्पत्ति का बिक्री, पट्टा के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेगा।
दिनाँक : 15–10–2024, स्थान : नोएडा **प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लिमिटेड**

PUBLIC NOTICE
LOFT BY RISA
I, Ridhima Advani, founder of Loft would like to bring to your attention that the name rights of Loft are under dispute and I have initiated the relevant legal proceedings against Ms. Sanya Garg and she is not authorised to act on my behalf. Any person dealing with Ms. Sanya Garg does so at their own risk. I will not assume any responsibility or liability regarding such dealings.

सार्वजनिक सूचना
**आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती बबीता, जो खसरा नंबर 1038 में से 90.27 वर्ग गज क्षेत्रफल वाली संपत्ति संख्या 16 का मालिक एवं क